"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2015—पौष 26, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरसिंह प्रसाद हिरवानी आ. स्व. बुद्धुराम, उम्र 53 वर्ष, जाति तेली, निवासी क्वा. नं. 45/जी, रिसाली सेक्टर भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम नरसिंह प्रसाद आ. बुद्धुराम दर्ज है एवं मेरे बी. एस. पी. गेट पास में मेरा नाम नरसिंह प्रसाद तथा पेनकार्ड में नरसिंह प्रसाद हिरवानी एवं ड्रायविंग लायसेन्स में मेरा नाम एन. पी. हिरवानी आ. बी. आर. हिरवानी दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम नरसिंह प्रसाद हिरवानी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे नरसिंह प्रसाद हिरवानी आ. बुद्धुराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नरसिंह प्रसाद, एन. पी. हिरवानी
आ. स्व. श्री बुद्धुराम
निवासी-क्वा. नं. 45/जी, रिसाली सेक्टर भिलाई,
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

नरसिंह प्रसाद हिरवानी
आ. स्व. श्री बुद्धुराम
निवासी-क्वा. नं. 45/जी, रिसाली सेक्टर भिलाई,
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ईश्वर दास आडिल पिता स्व. कुंवर सिंह आडिल, उम्र 51 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी मगरपारा आम्बेडकर नगर बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पूर्व के सभी दस्तावेजों में मेरा उपनाम कोसले दर्ज है जब कि मेरा मूल उपनाम आडिल है. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम ईश्वर दास आडिल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे ईश्वर दास आडिल पिता स्व. कुंवर सिंह आडिल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
ईश्वर दास कोसले पिता-स्व. कुंवर सिंह निवासी-आम्बेडकर नगर, मगरपारा बिलासपुर (छ. ग.)	ईश्वर दास आडिल पिता-स्व. कुंवर सिंह आडिल निवासी-आम्बेडकर नगर, मगरपारा बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पीला राम वर्मा पिता श्री दौवा राम वर्मा, आयु 49 वर्ष, निवासी-मकान नं. 24 एफ, सड़क नं. 27, सेक्टर 4, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम पीला राम पिता दौवा राम दर्ज है. मैं अपने उप नाम को परिवर्तित कर नया नाम पीला राम वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पीला राम वर्मा पिता श्री दौवा राम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
पीला राम पिता-श्री दौवा राम निवासी- क्वा. नं. 24 एफ, सड़क नं. 27, सेक्टर 4, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)	पीला राम वर्मा (Peela Ram Verma) पिता-श्री दौवा राम वर्मा निवासी-क्वा. नं. 24 एफ, सड़क नं. 27, सेक्टर 4, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रेखा देवांगन पति श्री जगदीश राम देवांगन, उम्र 46 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 4 बी, सड़क नं. 13, सेक्टर 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति जगदीश राम देवांगन के भिलाई इस्पात संयंत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग एवं बी. एस. पी. के सम्पूर्ण दस्तावेज में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती रेखा शशि देवांगन दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रेखा देवांगन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती रेखा देवांगन पति श्री जगदीश राम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमति रेखा शशि देवांगन पति-श्री जगदीश राम देवांगन निवासी-क्वा. नं. 4 बी, सड़क नं. 13, सेक्टर 2, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमति रेखा देवांगन पति-श्री जगदीश राम देवांगन निवासी-क्वा. नं. 4 बी, सड़क नं. 13, सेक्टर 2, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) मो. 9926788212

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नीतू सन्नाट पति श्री चन्द्रहास सन्नाट, निवासी-समर्पण भवन, श्रीवास्तव सदन के पास, जोन 1, स्ट्रीट 1 ए, न्यू आदर्श नगर दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम कु. हेमवती कौशिक आत्मजा ज्वाला प्रसाद कौशिक था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती नीतू सन्नाट रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती नीतू सन्नाट पति श्री चन्द्रहास सन्नाट के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
हेमवती कौशिक (Hemwatee Kaushik) पिता-श्री ज्वाला प्रसाद कौशिक निवासी-ग्राम कया, पो. सेंवार, तह. बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.)	नीतू सन्नाट (Neetu Sannat) पति-श्री चन्द्रहास सन्नाट निवासी-समर्पण भवन, श्रीवास्तव सदन के पास, जोन 1, स्ट्रीट 1 A न्यू आदर्श नगर, दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कमलाकर चिकाटे (Kamlakar Chikate) पिता श्री परसराम चिकाटे, निवासी अर्जुन विहार, मोहबा बाजार, रायपुर, तह. व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमि. डंगनिया रायपुर में सेक्शन आफिसर के पद पर पदस्थ हूं. पूर्व में मुझे कमलाकर महार के नाम से जाना, पहचाना जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम कमलाकर चिकाटे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे कमलाकर चिकाटे पिता श्री परसराम चिकाटे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कमलाकर महार
पिता-श्री परसराम
निवासी-A/4, अर्जुन विहार, मोहबा बाजार
रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

कमलाकर चिकाटे
पिता-श्री परसराम चिकाटे
निवासी-A/4, अर्जुन विहार, मोहबा बाजार
रायपुर (छ. ग.)

NAME CHANGE

I SHEIKH ALISHA W/o SHEIKH SHAREEF, Aged 28 yrs. Resident- T. R. T./F No. 217, Block No. 05, A. C. C. Colony, Jamul Distt. Durg (C. G.). My earlier name was Ramagiri Kasheem B D/o Ramagiri Pollaia after my marriage. I change to name Sheikh Alisha W/o Sheikh Shreef. That from to day and after wards I shall be known as Sheikh Alisha W/o Sheikh Shareef. This Affidavit is being presented by the Copetent Authority.

OLD NAME

RAMAGIRI KASIM B
D/o RAMAGIRI POLLAIA
Resd.- T. R. T. F. No. 217 Block No. 5,
ACC Colony Jamul, Distt. Durg (C. G.)

NEW NAME

SHEIKH ALISHA
W/o SHEIKH SHAREEF
Resd.- T. R. T. F. No. 217 Block No. 5,
ACC Colony Jamul, Distt. Durg (C. G.)

विविध

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल, कोरबा

कोरबा, दिनांक 2 दिसम्बर, 2014

क्र./तक. अधि./7918.— सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न दर्शित बीट हेमर कोरबा वनमण्डल के परिक्षेत्र कुदमुरा के गितकुंवारी परिसर रक्षक श्री अर्जुन सिंह कंवर एवं वन प्रबंधन समिति सदस्य गितकुंवारी के द्वारा कक्ष क्रमांक पी. 1102, 1105, 1121, ओ. ए. 1408, 1409, 1410 एवं 1411 में गस्ती के दौरान गितकुंवारी (ब) परिसर बीट हेमर छैकोर 127 KB किसी अज्ञात स्थान में श्री अर्जुन सिंह कंवर, परिसर रक्षक से उक्त हेमर गुम हो गया है.

गुमशुदा हेमर की वन प्रबंधन समिति सदस्यों एवं गस्ती दल द्वारा सघन जांच एवं खोजबीन किया गया लेकिन अत्यधिक घना जंगल होने के कारण बीट हेमर नहीं मिला. वन परिक्षेत्राधिकारी, कुदमुरा का पत्र क्र./1464 दिनांक 19-11-2014 का अवलोकन करने के बाद निम्न आदेश पारित किया जाता है.

आदेश क्र./243— वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त बीट हेमर छैकोर क्रमांक 127 KB वनमण्डल के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 200/- श्री अर्जुन सिंह कंवर, वनरक्षक से वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तथा लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हेमर मिले तो उसे समीपस्थ पुलिस थाना या वन कार्यालय में जमा करें. कोई व्यक्ति अवैधानिक रूप से रखे हुए या उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग लगाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

राजू आगसीमनी
(भा. व. से.)
वनमण्डलाधिकारी.

मंडल प्रबंधक, कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर

बिलासपुर 10 दिसम्बर, 2014

क्र./के. पी./वविनि/स्था./2014/6289.— मण्डल कार्यालय कोटा परियोजना मंडल छ. ग. राज्य वन विकास निगम लि. बिलासपुर के चालान क्रमांक 01/10058 दिनांक 07-10-2004 द्वारा फेलिंग हेमर जो कि भैंसाझार परिक्षेत्र के अंतर्गत कूप क्रमांक पी/1616 टी. पी.-87 में सुधार

कार्यवृत्त के अंतर्गत श्री के. एल. मेहरा, तत्कालीन परि. परि. अधिकारी भैंसाझार (वर्तमान में सेवानिवृत्त) को जारी किया गया था जो आज पर्यन्त तक मंडल कार्यालय में जमा नहीं हुआ है. साथ ही परियोजना मंडल के उपमंडल प्रबंधक बिलासपुर/कोटा एवं समस्त परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी साथ ही समस्त शाखा प्रभारी द्वारा उक्त फेलिंग हेमर का दुरूपयोग होने बाबत कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होने बाबत टीप दी गई है. जिसकी गुमशुदगी की सूचना थाना करगी रोड कोटा में दिनांक 29-11-2014 को दर्ज करा दी गई है. अत: मैं आदेश देता हूं कि :-

आदेश क्र./68— वन वित्तीय अधिनियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए गुमशुदा फेलिंग हेमर को भण्डार एवं स्टॉक अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. तथा उक्त गुमशुदा हेमर की कीमत रु. 100/- (एक सौ रुपये मात्र) श्री के. एल. मेहरा, परि. परि. अधिकारी (वर्तमान में सेवानिवृत्त) से वसूल करने का आदेश दिया जाता है एवं सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त फेलिंग हेमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह हेमर निकटतम थाना में या वन विकास निगम कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हेमर की अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा.

एम. गोविन्द राव
(भा. व. से.)
मण्डल प्रबंधक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

[छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा/परि./2014/591.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2013/688 बालोद, दिनांक 11-12-2013 के तहत गणेश ईंट खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्या. खपरी पं. क्र. 2479 को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति बी. के. शोभना स. वि. अ. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
उप पंजीयक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला कोण्डागांव

कोण्डागांव, दिनांक 30 सितम्बर 2014

[छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्र. /स. प. को/परिसमापन/2014/531.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/103 दिनांक 28-02-2013 के द्वारा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. केशकाल विकासखण्ड केशकाल, जिला-कोण्डागांव जिसका पंजीयन क्रमांक/AR/BTR/487 दिनांक 23-06-2004 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. मजुमदार स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां कोण्डागांव छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-51-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कोण्डागांव, दिनांक 30 सितम्बर 2014

[छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्र. /स. प. को/परिसमापन/2014/531.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/103 दिनांक 28-02-2013 के द्वारा साग सब्जी, फल फुल उत्पादक सहकारी समिति मर्या. केशकाल विकासखण्ड केशकाल, जिला-कोण्डागांव जिसका पंजीयन क्रमांक/AR/BTR/402 दिनांक 16-10-1996 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. मजुमदार स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां कोण्डागांव छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-51-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एन. बघेल,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2014

[छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक /परि./2014/2430.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/845/ दिनांक 23-04-2008 के तहत आरजू साख सहकारी समिति मर्या. टिकरापारा बिलासपुर पं. क्र. 124 दिनांक 04-01-2002 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत श्रीमति नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत आरजू साख सहकारी समिति मर्या. टिकरापारा बिलासपुर पं. क्र. 124 दिनांक 04-01-2002 विकासखण्ड बिल्हा, जिला- बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं

यह आदेश दिनांक 27-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2014

क्रमांक /परि./2014/2431.—महामाया महिला साख सहकारी समिति मर्या. शंकरनगर बिलासपुर पं. क्र. 246 दिनांक 13-07-2007 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2053 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत महामाया महिला साख सहकारी समिति मर्या. शंकरनगर बिलासपुर पं. क्र. 246 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. डी. केशरवानी, उप अंकेक्षक, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2014

क्रमांक /परि./2014/2432.—एस. एस. साख सहकारी समिति मर्या. गोलबाजार बिलासपुर, पं. क्र. 149 दिनांक 16-06-2003 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2057 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत एस. एस. साख सहकारी समिति मर्या. गोलबाजार बिलासपुर, पं. क्र. 149 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए. के. शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2014

क्रमांक /परि./2014/2436.—महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. नवांगांव (मोहदा) बिलासपुर पं. क्र. 173 दिनांक 06-10-2004 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2049 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. नवांगांव (मोहदा) बिलासपुर पं. क्र. 173 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन. आर. भगत, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2014/2586 .—निषाद मछुआ सहकारी समिति मर्या. टिकरापारा बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3558 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 2058 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर संतोषप्रद नहीं पाया गया /उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर निषाद मछुआ सहकारी समिति मर्या. टिकरापारा बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3558 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

क्रमांक /उपंबि./परिसमापन/2014/2587.—महिला साख सहकारी समिति मर्या. चाटीडीह बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 214 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 2054 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर संतोषप्रद नहीं पाया गया /उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर महिला साख सहकारी समिति मर्या. चाटीडीह बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 214 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्रीमति शोभा बंदे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

[छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत]

क्रमांक/उपजां/परिसमापन /2014/1961.—कार्यालयीन पत्र क्र. /उपजां/विधि /2014/803 जांजगीर दिनांक 16-04-2014 एवं क्र. 807 दिनांक 21-04-2014 तथा क्र. 1158 दिनांक 18-06-2014 द्वारा निम्न अनुसूची में दर्ज सहकारी सोसायटियों को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत सोसायटी के पंजीयन तिथि के पश्चात् 03 वर्ष अधिक की अवधि व्यतीत होने के बाद भी अकार्यशील रहने या सोसायटी के लगातार विगत 05 वर्षों से अकार्यशील रहने या सोसायटी के कारोबार के संचालन में इसके सदस्यों द्वारा कोई रूचि नहीं लिये जाने या सोसायटी में प्रतिवर्ष आमसभा आयोजित नहीं किये जाने या सोसायटी द्वारा अपने गठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं करने संबंधी उक्त सभी अथवा एकाधिक कारणों से इन सोसायटियों को कारण बताओ सूचना जारी करते हुये जवाब मांगा गया था, किंतु तीन माह से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरांत किसी भी सोसायटी द्वारा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. इससे स्पष्ट है कि ये सोसायटियां पूर्णतया निष्क्रिय है और भविष्य में भी अपने गठन के उद्देश्यों की पूति हेतु कार्य नहीं करना चाहती है.

अतः मैं बिनोद बुनकर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर-चांपा, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए ऊपर वर्णित कारणों के आधार पर निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ क्र. दो में अंकित सोसायटी को अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 के तहत अनुसूची के स्तंभ क्र. चार में नामिति अधिकारी को सोसायटी का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्र. व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम व पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवोदित प्राथ. सह. उप. भण्डार नैला	160/06-05-95	नवागढ़	श्री जी. आर. भतरा स. वि. अ. नवागढ़
2.	गणेश प्राथ. सह. उप. भण्डार बाराद्वार	229/13-08-98	सक्ती	श्री एस. एन. चकलादार स. नि.
3.	पी. आई. एल. कर्म. प्राथ. सह. उप. भण्डार कोटाडबरी	279/01-03-02	बम्हनीडीह	श्री एम. एल. देवांगन स. वि. अ. बम्हनीडीह
4.	अवंतिका गृह निर्माण सह. समिति जांजगीर	40/11-06-62	नवागढ़	श्री आर. के. गुप्ता व. स. नि.
5.	कर्मचारी गृह निर्माण सह. समिति जांजगीर	266/21-05-01	नवागढ़	श्री आर. के. गुप्ता व. स. नि.
6.	अजाक्स गृह निर्माण सह. समिति जांजगीर	269/27-06-01	नवागढ़	श्री आर. के. गुप्ता व. स. नि.
7.	नालंदा कर्म. गृह निर्माण सह. समिति जांजगीर	273/22-09-01	नवागढ़	श्री आर. के. गुप्ता व. स. नि.
8.	गृह निर्माण सह. समिति चांपा	50/10-06-63	नवागढ़	श्री एम. एल. देवांगन स. वि. अ. बम्हनीडीह
9.	राजा मनमोहन गृह नि. सह. समिति अकलतरा	33/31-12-80	अकलतरा	श्री व्ही. के. तिवारी व. स. नि.
10.	छ. ग. आफसेट सहकारी मुद्रणालय जांजगीर	261/05-01-01	नवागढ़	श्री जी. आर. भतरा स. वि. अ. नवागढ़
11.	जांजगीर आफसेट सहकारी मुद्रणालय जांजगीर	281/10-12-02	नवागढ़	श्री जी. आर. भतरा स. वि. अ. नवागढ़
12.	छ. ग. श्रमिक सहकारी समिति चांपा	348/04-11-06	बम्हनीडीह	श्री एम. एल. देवांगन स. वि. अ. बम्हनीडीह
13.	गणेश ---,,--- खम्हिया	82/11-03-08	सक्ती	श्री एस. एन. चकलादार स. नि.
14.	शिव कोसा ---,,---रायपुरा	253/18-08-00	सक्ती	श्री एस. एन. चकलादार स. नि.
15.	विजय लक्ष्मी ---,,---बलौदा	75/19-01-80	बलौदा	श्री एन. के. उपाध्याय स. नि.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	परमेश्वरी श्रमिक सहकारी समिति गोपालपुर (चंद्रपुर)	345/12-07-06	डभरा	श्री वाई. के. चन्द्राकर स. नि.
17.	जयमहालक्ष्मी ---,,--- मोहंदीकला	347/16-10-07	सक्ती	श्री एस. एन. चकलादार स. नि.
18.	शास. कर्म. बहुउद्देशीय सह. समिति जांजगीर	290/12-03-03	नवागढ़	श्री जी. आर. भतरा स. वि. अ. नवागढ़
19.	विविध उद्योग ---,,---खजुरानी	03/10-06-70	जैजैपुर	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
20.	अष्टभुजी महिला ---,,---मालखरौदा	274/26-09-01	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
21.	अ. जा. म. ---,,---मालखरौदा	282/03-08-02	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
22.	तेजस्विनी ---,,---जांजगीर	291/02-04-03	नवागढ़	श्री जी. आर. भतरा स. वि. अ. नवागढ़
23.	शीतला ---,,---जांजगीर	304/09-01-04	नवागढ़	श्री जी. आर. भतरा स. वि. अ. नवागढ़
24.	जय अम्बे ---,,---सुंदरेली	307/13-10-04	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
25.	मां शारदा ---,,---कुरदा	308/22-10-04	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
26.	जय मां अम्बे ---,,---पेण्ड्री	311/25-01-05	नवागढ़	श्री जी. आर. भतरा स. वि. अ. नवागढ़
27.	जय मां शारदा ---,,--- चुरतेला	312/11-02-05	डभरा	श्री वाई. के. चन्द्राकर स. नि.
28.	जय मां शारदा ---,,--- पण्डरमुड़ा	313/18-02-05	डभरा	श्री वाई. के. चन्द्राकर स. नि.
29.	जय मां दुर्गा ---,,---जमगहन	314/18-02-05	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
30.	जय मां काली ---,,---मरघटी	315/26-02-05	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
31.	नव दुर्गा ---,,---टाटा	318/26-02-05	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	अ. जा. म. ---,,---अण्डा	319/26-02-05	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
33.	जय अम्बे ---,,---आड़िल	320/01-03-05	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
34.	जय मड़वा रानी ---,,--- कुरदा	322/16-03-05	सक्ती	श्री एस. एन. चकलादार स. नि.
35.	जय चंद्रहासिनी ---,,--- मोहतरा	324/17-03-05	सक्ती	श्री एस. एन. चकलादार स. नि.
36.	महामाया ---,,---रनपोटा	325/17-03-05	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
37.	जय लक्ष्मी ---,,---नवागांव	326/17-03-05	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
38.	जय अम्बे ---,,--- अमलीडीह	327/17-03-05	डभरा	श्री वाई. के. चन्द्राकर स. नि.
39.	महामाया ---,,--- डोमा	328/17-03-05	डभरा	श्री वाई. के. चन्द्राकर स. नि.
40.	जय अम्बे ---,,--- तुलसीडीह	329/17-03-05	डभरा	श्री वाई. के. चन्द्राकर स. नि.
41.	संत कबीर दास ---,,--- बुंदेली	330/21-03-05	डभरा	श्री वाई. के. चन्द्राकर स. नि.
42.	जय चंद्रहासिनी ---,,--- कुदरी	331/30-03-05	डभरा	श्री वाई. के. चन्द्राकर स. नि.
43.	जय बूढ़ी मां ---,,--- झर्रा	332/30-03-05	बम्हनीडीह	श्री एम. एल. देवांगन स. वि. अ. बम्हनीडीह
44.	जय दुर्गा मां ---,,---सारसकेल	333/30-03-05	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
45.	जय मां लक्ष्मी ---,,---नगझर	335/01-04-05	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
46.	जय मां गायत्री ---,,---पिहरीद	337/01-04-05	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
47.	जय खम्लेश्वरी ---,,---भुतहा	338/01-04-05	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
48.	महिला बहु. सहकारी समिति बोरदा	340/04-10-05	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
49.	शिव शक्ति बहु. सह. समिति कांसा	353/31-12-07	डभरा	श्री वाई. के. चन्द्राकर स. नि.
50.	मछुआ ---,,---डिघोरा	252/02-08-00	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
51.	कन्हैया मछुवा सहकारी समिति अमोदा	115/26-05-89	नवागढ़	श्री जी. आर. भतरा स. वि. अ. नवागढ़
52.	जन कल्याण मछुवा सह. समिति भड़ेसर	153/22-03-95	नवागढ़	श्री जी. आर. भतरा स. वि. अ. नवागढ़
53.	भविष्य जन कल्याण ---,,---दर्री	196/5-12-96	नवागढ़	श्री जी. आर. भतरा स. वि. अ. नवागढ़
54.	हरिजन ---,,---बेल्हाडीह	243/31-03-99	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
55.	छ. ग. जागृति ---,,---पिहरीद	203/27-01-97	मालखरौदा	श्री ए. के. अग्निहोत्री स. नि.
56.	युवा ---,,---कंकालीन पारा बलौदा	107/22-01-88	बलौदा	श्री एन. के. उपाध्याय स. नि.
57.	बोल बम ---,,---कुरदा	272/06-09-01	बलौदा	श्री एन. के. उपाध्याय स. नि.
58.	बजरंग ---,,---बनाहिल	268/27-06-01	अकलतरा	श्री एन. के. उपाध्याय स. नि.
59.	ज्योति मछुवा सह. समिति पोड़ी दल्हा	254/11-10-01	अकलतरा	श्री एन. के. उपाध्याय स. नि.

बिनोद बुनकर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.